दिनांक 18.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 20/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मेरठ/थाना मवाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17/18.02.2025 की रात्रि थाना मवाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अटौरा रोड पर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शादाब उर्फ गोलू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आमिर 3–जुबैर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शादाब उर्फ गोलू, जुबैर थाना मवाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शादाब उर्फ गोलू के विरूद्ध जनपद मेरठ के थाना मवाना पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मवाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब उर्फ गोलू निवासी मोहल्ला मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

2–आमिर निवासी मोहल्ला मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

3–जुबैर निवासी मोहल्ला मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.02.2025 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डिगडेरा रजवाहा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मीरापुर पर पजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी घिसौली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना महावन

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.02.2025 को थाना महावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिन्ताहरण मन्दिर मार्ग पर निर्माणाधीन कॉलोनी के पास से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1–सुमित 2–मोहित उर्फ टपोरी 3–तुलसी 4–सोनू उर्फ लुक्का को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.02.2025 को थाना महावन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महावन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना महावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुमित निवासी नगला हरजीवन थाना महावन जनपद मथुरा।

2–मोहित उर्फ टपोरी निवासी नगला महाराज सिंह थाना महावन जनपद मथुरा।

3–तुलसी निवासी गाँव अलीपुर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

4–सोनू उर्फ लुक्का निवासी मनोहरपुर थाना महावन जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन।

2–नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन।

3–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के माल बिक्री के 24 हजार 950 रूपये नगद**
- **घटना मे प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 18.02.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्तों 1–रोहित 2–आनन्द 3–चार अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के माल बिक्री के 24 हजार 950 रूपये नगद, घटना मे प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी म.नं. एफ–1–287 मदनागिरी डा0 अम्बेडकरनगर दक्षिणी दिल्ली।

2–आनन्द निवासी मं. नं. सी–आई. 929 मदनागिरी डा0 अम्बेडकरनगर दक्षिणी दिल्ली।

3–चार अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के माल बिक्री के 24 हजार 950 रूपये नगद।

3–घटना मे प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 18.02.2025 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्वाति हास्पिटल के सामने बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शोएब 2–अब्दुल रहमान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शोएब के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद बागपत व मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शोएब निवासी ग्राम रटोल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2–अब्दुल रहमान निवासी मौ0 देसराज कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी

1—चोरी की 02 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **3900/— रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18.02.2025 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कलापुर पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में 01 उ0नि0 01 आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सचिन उर्फ चुटकुला घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अभिषेक सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 3900/— रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सचिन उर्फ चुटकुला के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग व अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सचिन उर्फ चुटकुला निवासी मथुरापुर थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

2—अभिषेक निवासी कांकर टोला थाना बरादरी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—3900/— रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद उन्नाव/थाना दही

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **23 लाख रूपये (कीमत) की 04 किलो 630 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 17.02.2025 की रात्रि को थाना दही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंधेरी पुल के नीचे चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1—रशीद अहमद उर्फ छोटू 2—मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 23 लाख रूपये (कीमत) की 04 किलो 630 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना दही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रशीद अहमद उर्फ छोटू निवासी काशीराम कॉलोनी थाना चकेरी, कानपुर नगर।

2—मोहम्मद अली निवासी नाला रोड कंधी मोहाल थाना बजरिया, कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1–23 लाख रूपये (कीमत) की 04 किलो 630 ग्राम अवैध चरस।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कटराबाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त अनस को धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त इमरान को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना छपरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/452/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सौरव उर्फ शेरू 2–ईश्वर उर्फ विक्की को सश्रम आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना टुण्डला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना टुण्डला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।